

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/नो बिहार दिवस-05/2025

सेवा में,

**महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में आयोजित बिहार दिवस-2025 के अवसर पर **PYRAMIDFABCON EVENT MANAGER PVT. LTD** द्वारा सहकारिता मंडप-सह-सहकारी उत्पादों के बिक्री हेतु स्टॉल का निर्माण कार्य पर हुए कुल व्यय की राशि **रु0 15,15,120/-** (पंद्रह लाख पंद्रह हजार एक सौ बीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में आयोजित बिहार दिवस-2025 के अवसर पर **PYRAMIDFABCON EVENT MANAGER PVT. LTD** द्वारा सहकारिता मंडप-सह-सहकारी उत्पादों के बिक्री हेतु स्टॉल का निर्माण कार्य पर हुए कुल व्यय की राशि **रु0 15,15,120/-** (पंद्रह लाख पंद्रह हजार एक सौ बीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड-09-2425001050101 विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष-02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT, RTGS के माध्यम से **PYRAMIDFABCON EVENT MANAGER PVT. LTD** के शाखा **HDFC Bank, Branch- Hajipur** **IFSC- HDFC0000345** के खाता संख्या-**50200026037474** में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 03/नि0 बिहार दिवस-05/2025 पर के पृ0 संख्या 32/टि0 पर दिनांक 05.06.2025 को दी गई है।
8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- 03/नि0 बिहार दिवस-05/2025 पर के पृ0 संख्या 32/टि0 पर दिनांक 05.06.2025 को दी गई है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....144...../पटना, दिनांक 06/06/2025.....
03/नि0 बिहार दिवस-05/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को मूल अभिश्रव सहित/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को मुहरबंद लिफाफे में।

115
06.06.2025

06.06.25
सरकार के अपर सचिव।